जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 21.09.2024**

थाना नगीना पुलिस ने घर में चोरी की झूठी सूचना का किया खुलासा, पूरा सामान घर के पीछे एक प्लाट से बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.09.2024 को थाना नगीना, बिजनौर पर वादी/आवेदक मौ0 कलवा पुत्र सलारा बख्श निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के द्वारा आवेदक के घर की अलमारी मे बेटी की शादी के दहेज के लिये रखे 1,60,000/-रुपये, सोने के आभूषण (गले का सोने का हार, अंगूठी, नोज पिन व अन्य सामान) कीमत करीब 2,50,000/-रुपये चोरी होने के संबंध मे एक लिखित तहरीर उपलब्ध करायी गयी।

इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुची तथा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया और घर के सदस्यों से पूछताछ की गयी तो आवेदक के बेटे की बहु ने बताया कि मैने लालच में आकर यह रुपये व जेवरात अलमारी से निकालकर एक पोटली मे बांधकर घर के पीछे फैंक दिये थे। इस सामान को घर के पीछे तलाश किया गया तो चोरी होना बतायी गयी धनराशि व जेवरात आवेदक के घर के पीछे एक प्लाट में उगी घास से पोटली मे बंधे हुए बरामद हुए। आवेदक द्वारा दी गयी सूचना झूठी पायी गयी है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 21.09.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने 04 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार कर पशु चोरी की तीन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाडी, नगदी, 03 अवैध चाकू एवं 02 मोबाइल फोन किये बरामद ।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 18.09.2024 को वादी श्री शेर सिंह पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम नगला बुद्धवा उर्फ नशीरदीवाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 13/14.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से एक भैंस तथा एक कटिया एवं वादी के भाई श्रीपाल सिंह की कटिया को चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

<u>कार्यवाही –</u>

आज दिनांक 21.09.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.ब्रिजेश कुमार पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम कुमखिया थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा 2.शादाब उर्फ लल्लन पुत्र सलामतुल्लाह निवासी ग्राम रहटा बिल्लोच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.भूरा उर्फ इकबाल कुरैशी पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती वार्ड नं0 -17 कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद 4.अनीश कुरैशी पुत्र अब्दुल गफूर नि0 मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 तैय्यब सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी रजि0सं0 UP23AT9308, चोरी किये गये पशुओं को बेचकर प्राप्त 20,020 /- रुपये, तीन अवैध चाकू, दो मोबाइल फोन तथा रस्सा बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में अपने साथियो 1.शानू उर्फ शाने आलम पुत्र नवी जान निवासी लल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद 2.रिहान पुत्र रहीश निवासी रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती वार्ड नं0 22 फतेहउल्ला गंज कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के साथ मिलकर घटना कारित करना इकबाल किया गया । शेष अभियुक्तगण शानू उर्फ शाने आलम तथा रिहान उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है ।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम चारो ने अपने साथी शानू उर्फ शाने आलम पुत्र नवी जान निवासी लल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद व रिहान पुत्र रहीश निवासी रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती वार्ड नं0 22 फतेहउल्ला गंज कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के साथ मिलकर दिनांक 14.09.2024 को प्रातः करीब 04.00 बजे ग्राम नसीरदीवाला से घर के अन्दर से दो कटिया व एक भैंस चोरी की थी । हम लोगो नें चोरी गई भैस तथा कटियाओ को इसी छोटा हाथी में लादकर महेशपुर (भोजपुर) जनपद बिजनौर के पशु मेले में उसी दिन 48,000/- रुपये में बेच दिया था। हम सभी ने 8-8 हजार रुपये आपस मे बांट लिये थे। इसके अतिरिक्त हमने दिनांक 03/04.06.2024 की रात्रि में शानू उर्फ शाने आलम तथा रिहान पुत्र रहीश के साथ ग्राम नूरपुर छिपरी से एक भैंस चोरी की थी, भैंस मालिक के जागने पर हम भैंस मालिक के साथ मारपीट करके रिहान द्वारा लाये गये पिकअप में भैंस को लादकर ले गये थे तथा उस भैस को भी हमनें उसी दिन बेच कर पैसे आपस में बांट लिये थे। हम लोग पिछले काफी समय से पशु चोरी करते आ रहे है तथा करीब 03 -04 माह पहले थाना क्षेत्र धामपुर के ग्राम सालारपुर से दो भैसें चोरी की थी। दिनांक 03/04.06.2024 की रात्रि में ग्राम नूरपुर छिपरी में की गई चोरी के सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0स0 124/2024 धारा 382 भादवि पंजीकृत है तथा ग्राम सालारपुर थाना धामपुर के सम्बन्ध में थाना धामपुर जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 244/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.ब्रिजेश कुमार पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम कुमखिया थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा

2.शादाब उर्फ लल्लन पुत्र सलामतुल्लाह निवासी ग्राम रहटा बिल्लोच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.भूरा उर्फ इकबाल कुरैशी पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी नई बस्ती वार्ड नं0 -17 कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

4.अनीश कुरैशी पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 तैय्यब सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1.घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी पंजीकरण संख्या UP23AT9308

2.तीन अवैध चाकू

3.नकद 20,020 /- रुपये

4.दो मोबाइल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शादाब उर्फ लल्लन उपरोक्त –

1.मु0अ0स0 496/17 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर

2.मु0अ0स0 343/2018 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर

3.मु0अ0स0 302/2018 धारा 380 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0स0 138/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0स0 40/18 धारा 138(1)(b) विद्युत अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0स0 95/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नूरपुर जिला बिजनौर

7.मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना शेरकोट

8.मु0अ0स0 124/2024 धारा 382 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

9. मु0अ0स0 244/2024 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूरा उर्फ इकबाल उपरोक्त –

1.मु0अ0स0 373/15 धारा 380/411/457 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 184/15 धारा 394 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0 117/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4.मु0अ0स0 29/06 धारा 379/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना शेरकोट

6.मु0अ0स0 124/2024 धारा 382 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

7. मु0अ0स0 244/2024 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अनीस कुरैशी उपरोक्त –

1.मु0अ0स0 77/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 465/2005 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना शेरकोट

4.मु0अ0स0 124/2024 धारा 382 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5. मु0अ0स0 244/2024 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ब्रजेश उपरोक्त

1.मु0अ0स0 181/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना शेरकोट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 166 अंकुर कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4.कां0 06 अंकुर कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.कां0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

6.कां0 1731 गजेन्द्र सिह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

7.कां0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 21.09.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 360/2024 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.09.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि विपिन पुत्र बलराम निवासी राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसमें विपिन के अन्य परिजन भी शामिल है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 360/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम विपिन आदि उपरोक्त कुल 09 नफर पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 65(1) बीएनएस व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 21.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र बलराम सैनी निवासी मौ0 खलियापार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विपिन पुत्र बलराम सैनी निवासी मौ0 खलियापार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1806 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 21.09.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने 367/2024 धारा 191(2)/191(3)/333/352/110 बीएनएस व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट मे वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.09.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मयंक पुत्र सत्यपाल 2.रितिक उर्फ काले पुत्र सत्यपाल 3.राजन पुत्र सत्यपाल 4.सत्यपाल पुत्र बसन्ता 5.निहाल पुत्र बसन्ता निवासीगण ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए लाठी डंडो से हमला किया गया, जिससे वादी का पुत्र गंभीर रुप से घायल हो गया एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 367/2024 धारा 191(2)/191(3)/333/352/110 बीएनएस व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम मयंक आदि उपरोक्त कुल 05 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 21.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण रितिक उर्फ काले पुत्र सत्यपाल 2.सत्यपाल पुत्र बसन्ता 3.निहाल पुत्र बसन्ता निवासीगण पीपला जागीर थाना नूरपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.रितिक उर्फ काले पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.सत्यपाल पुत्र बसन्ता निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.निहाल पुत्र बसन्ता निवासी ग्राम पीपला जागीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 291 सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 21.09.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त लवप्रतीत उर्फ लवली पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को अवैध 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0स0 307/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम लवप्रतीत उर्फ लवली उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लवप्रतीत उर्फ लवली पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

पुलिस टीम-

1.हे0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 21.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर गैंग के तीन सदस्यो को चोरी के 06 दोपहिया वाहन (05 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी) व घटना में प्रयुक्त एक अन्य स्कूटी सहित किया गिरफ्तार, चोरी की पांच घटनाओं का किया अनावरण।

कार्यवाही विवरण –

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किरतपुर रोड पर RN गार्डन के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण 1.हेमेन्द्र सिंह उर्फ छोटू पुत्र भोपाल सिंह निवासी पाठपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2.शैलब उर्फ सिद्धार्थ पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी अमाननगर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 3.अरूण कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को चोरी की एक स्कूटी एक्टिवा सफेद रंग नं0 UP20AY5248 सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त स्कूटी चोरी के सम्बंध में दिनांक 19.09.2024 को वादी श्री कौशल कुमार पुत्र शीशराम सिंह निवासी मौ0 साकेत कॉलोनी सिविल लाईन II निकट क्लेक्ट्रेट थाना कोतवाली नगर बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 899/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की गई कुल 05 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी नम्बर UP20CL3639 बरामद की गई। चोरी किये गये अन्य 05 दोपहिया वाहनों का विवरण निम्न हैः-

1.मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला सिलवर बिना नम्बर प्लेट, चैचिस नम्बर MBLHAW125LHC02845 व इंजन नम्बर HA11EYLHC01331 रजिस्ट्रेशन नं0 UP20BU3516 **(इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 901/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है)**

2.मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस UP12BH 3583 नम्बर की प्लेट लगी है चैचिस नं MBLHA10CGGHC46710 व इंजन न0 HA10ERGHC48826 उक्त मोटर साईकिल का सही रजि0नं0 UP20AU7482 **(इस संबंध में थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 778/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।)**

3.मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट, चैचिस नम्बर MBLHAW116LHM19776 इंजन नम्बर HA11EVLHMB0205 सही रजि0 नम्बर UP20BW5075 **(इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 303(2)बीएनएस पंजीकृत है)**

4.मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्रो रंग काला बिना नम्बर प्लेट चैचिंस नम्बर MBLHA10BFEHL15292 व इंजन नम्बर HA10EREHL66084 रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20AP3136 **(इस संबंध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 904/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।)**

5.हर की पौडी (हरिद्वार) से चोरी की गयी मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट चैचिस नम्बर MBLHAR087JHK22063 इंजन नम्बर HA10ENGGH12000 रजिस्ट्रेशन नम्बर UP12AX0989 तथा इंजन नम्बर HA10AGJHK41513 उक्त मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में ज्ञात करने पर तत्काल कोई जानकारी नही हो पायी है।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग भीड-भाड वाली जगहों से दो पहिया वाहन चोरी करते है और चोरी के वाहनो को बेचकर पैसा आपस में बांट लेते है। हम सभी हेमेन्द्र सिंह, शैलब उर्फ सिद्धार्थ, अरूण कुमार, शिवम, छोटू, रजत ने स्कूटी नं0 UP20AY 5248 को कल दोपहर में प्रिमीनेन्ट कोचिंग सेन्टर के सामने से, मोटर साईकिल नं0 UP20BU3516 को करीब 10 दिन पहले वीमार्ट शोपिंग काम्पलेक्स के बाहर से, मोटर साईकिल नं0 UP20AU7482 को करीब 01 महीना पहले गोपाल हास्पिटल के बाहर से, मोटर साईकिल रजि0नं0 UP20AP3136 को रेलवे स्टेशन

बिजनौर के बाहर से करीब 20 दिन पहले, मोटर साइकिल रजि0नं0 UP20BW5075 को 02 दिन पहले रेलवे स्टेशन हल्दौर बिजनौर के बाहर से तथा मोटर साईकिल रजि0नं0 UP12AX0989 को करीब एक – डेढ महीना पहले हर की पोडी हरिद्वार के पास से चोरी किया था। ये सभी चुराई गयी मोटर साईकिल अभी तक सही ग्राहक न मिलने की वजह से बिक नही पाई थी। इनमे से कुछ मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट हमने हटा दी है तथा कुछ की नम्बर प्लेट बदल दी है तथा सभी मोटर साईकिलो का हुलिया थोड़ा थोड़ा पेन्ट आदि करके बदल दिया है जिससे मोटर साईकिल पहचान में न आ सके और एक मोटर साईकिल का इंजन भी बदल दिया है। अभियुक्तगण चोरी किये गये दोपहिया वाहनों को बेचने के लिये हरिद्वार एवं मुजफ्फरनगर के ग्राहकों के सम्पर्क में थे तथा इनके द्वारा मुजफ्फरनगर एवं हरिद्वार से भी दोपहिया वाहन चोरी किये गये है, जिसके सम्बंध में गहनता से जांच की जा रही है।

अभियुक्तगण से की पूछताछ के आधार पर इनके अन्य तीन साथी 1.शिवम पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम आदोपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर, 2.छोटू पुत्र राजवीर सिंह निवासी ज्ञान विहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर व 3.रजत पुत्र चन्दन निवासी रडावली थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के नाम भी प्रकाश में आये है जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगो में धारा 317(2)/317(5)/318(4)/345(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.हेमेन्द्र सिंह उर्फ छोटू पुत्र भोपाल सिंह निवासी पाठपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2.शैलब उर्फ सिद्धार्थ पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी अमाननगर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.अरूण कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

1.मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UP20BU3516
2.मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0 UP20AU7482
3.मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UP20BW5075
4.मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्रो रजि0 न0 UP20AP3136
5.एक स्कूटी एक्टिवा सफेद रंग नं0 UP20AY5248
6.हरिद्वार से चोरी की गयी मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट रजि0नं0 UP12AX0989 (तस्दीक नही, जानकारी की जा रही है।)
7.एक काले रंग की स्कूटी नम्बर UP20CL3639 (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त शैलब का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 127/24 धारा 352/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 103/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 609/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 104/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री तेजवीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 773 अरूण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. कां0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. कां0 2167 अरूण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. कां0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. कां0 1198 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8. कां0 1892 दीपक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर